न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक आर०ए०एस०

अपील संख्या :- **21/2020**

अपीलान्ट :-

1. भैराराम पुत्र टोडाराम जाति मेघवाल निवासी जैसलान तहसील लाडनूं जिला नागौर

रेस्पोडेन्ट :-

1. तहसीलदार ,लाडनूं।
2. पटवारी हल्का इन्द्रपुरा।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री हरफूल राव अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 06/2019 दिनांक 17.02.2020 बअनवान सरकार बनाम भेराराम वगैरह द्वारा न्यायालय तहसीलदार लाडनूं अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- **31.03.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 06/2019 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का इन्द्रपुरा बनाम भैराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2020 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का इन्द्रपुरा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम जैसलान के खसरा नंबर 210 कुल रकबा 0.1200 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर डोल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा जैसलान के खसरा नंबर 210

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

कुल रकबा 0.1200 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा जैसलान के खसरा नंबर 210 कुल रकबा 0.1200 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 20/– अक्षरे बीस रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 02.07.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 02.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व / 2021/480 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 17.02.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि, रिपोर्ट पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

{3} वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि :-

{3} 1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2020 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है , अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2020 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सीकर

{3} 3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 4. यह है कि तहसीलदार लाडनूं द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी का जिस भूमि पर पर अतिक्रमण मानकर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है तथा जिस पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है मात्र 0.385 के 50 गुणा से जुर्माना 20 रूपये बताया गया है व मिथ्या बताया गया है।। अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है।

{3} 5. यह है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया गया जिसमें अप्रार्थी/अपीलांट ने उक्त रास्ते पर अतिक्रमण होने से मना किया गया है। उसके बावजूद बिना साक्ष्य के उक्त निर्णय पारित किया है।

{3} 6. यह है कि उक्त अपील में वर्णित खसरा नंबर 210 पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है महज अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्य अंकित किये गये है।

{3} 7. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयान भी नही लिये गये है केवल रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2020 को हुआ है । इसके बाद भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण लाकॅडाउन लगा दिया गया था । प्रार्थी को इस निर्णय की जानकारी 29.06.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोखा

2020 को नकले प्राप्त करने से हुई है । प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अपील में हुयी देरी माफ योग्य है जिससे अवधि दिनांक 17.02.2020 से 29.06.2020 तक की समयावधि को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी को जानकारी का अभाव होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर , सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अवधि दिनांक 17.02.2020 से 29.06.2020 तक की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का इन्द्रपुरा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक सारडी की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम जैसलान के खसरा नंबर 210 रकबा 0.1200 है० गैर मुमकिन रास्ता में डोल बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया हैं ।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि रास्ते की भूमि हैं तथा वर्तमान में भी रास्ते के नाम से दर्ज है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधी संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार हैं । यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का इन्द्रपुरा द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 31.07.2019, जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक सारडी द्वारा की गई है उसमें अपीलांट द्वारा ग्राम जैसलान के खसरा नंबर 210 रकबा 0.1200 है० गैर मुमकिन रास्ता पर डोल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी जो गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है उस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है।ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधी सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

-:आदेश:-

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2020 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है।

(दिग्पाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दिग्पाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)